

राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची

अधिसूचना

अधिसूचना सं०-विविध(वि०वि०)-3/2010...18.3.7...रा०स०, दिनांक...10/08/2016

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-12(A) के आलोक में राज्य के विश्वविद्यालयों के निमित्त निम्नलिखित वित्तीय सलाहकारों की नियुक्ति की जानी है यथा:-

1. विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग
2. निलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू

2- संबंधित विश्वविद्यालय के वित्तीय सलाहकारों के एकल पद की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं सुयोग्य अर्हताधारक आवेदकों से आवेदन पत्र सम्पूर्ण सेवा इतिहास सहित आमंत्रित कर एक पैनल तैयार करने हेतु सर्व कमिटी का गठन किया जाता है :-

- | | |
|---|---------|
| 1. विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची- | अध्यक्ष |
| 2. प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड, राँची अथवा उनके प्रतिनिधि- | सदस्य |
| 3. कुलपति, राँची विश्वविद्यालय, राँची- | सदस्य |
| 4. राज्यपाल के विशेष कार्य पदाधिकारी (न्यायिक)- | संयोजक |

3- संबंधित कमिटी रिक्तियों के विज्ञापन सहित पैनल का निर्धारण करने तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए अपनी अनुशंसा यथाशीघ्र संसूचित करेगी एवं इसमें सचिवालय सहयोग कुलाधिपति कार्यालय के अंतर्गत कार्यरत विश्वविद्यालय शाखा, राज्यपाल सचिवालय, राँची से प्राप्त की जा सकेगी ।

10/8/16

(एस० के० सतपथी)

राज्यपाल-सह-कुलाधिपति के प्रधान सचिव
झारखण्ड, राँची ।